

फर्द अहकाम

कालु बनाम राजेश्वर कांड

नाम न्यायालय 500 शाहपुर

केस संख्या 105/2025


आज्ञा पत्र T.9.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

13/10/25

पचावली पैसा दुकी वखील उभयपक्ष उर्फ वखील उभयपक्ष वाना आठपत्र अत्याई निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। वखील उभयपक्ष ही बहस चुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पचावली का कलेक्टर किया गया। मूल वाद बेटकारा का है। मूल वाद के निस्तारण तक आठपत्र अत्याई निषेधाज्ञा में ~~काम जारी~~ किया जाना उचित समझते हैं।

उक्त उभयपक्षों को सिवाइल आठपत्र नं० 2060 वरकवा 1.98 व 2061 वरकवा 1.54 कुल डिंग 2 कुल वरकवा 3.52 हे० काई साम कोट एहो शाहपुर की मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्ड किया जात है। पचावली पैसा कि उक्त भूमि का वाजुड किफाई एवं मौके की भया स्थिति बनाये रखे। पचावली पैसा कुमार होकर मूल वाद के हलफिल रहे।


 उप खण्ड अधिकारी
 शाहपुर जिला-जयपुर (राज.)